फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड जिसका पंजिकृत कार्यालय 4th फ्लोर, फेज–II, स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769, माउण्ट रोड, अन्ना सलाई, चैन्नई–600002, तमिलनाडू, तथा शाखा कार्यालय–होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड़, डीसीएम जयपुर प्राधिकृत अधिकारी श्री संदीप सिंह।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति पुष्पा देवी गाडरी पत्नी श्री मोहन निवासी हाउस नं. 112, गाडरी मोहल्ला, जूणदा, रेलमगरा जिला राजसमंद (राज0) — — —**ऋणी**
2. श्री पूरण गाडरी पुत्र श्री मोहन निवासी हाउस नं. 112, गाडरी मोहल्ला, जुणदा, रेलमगरा जिला राजसमंद

— — — **सहऋणी**

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 01/2022**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 12.04.2022 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, जयपुर ने दिनांकः 17.12.2021 को इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी संख्या 1 एवं 2 ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 22.06.2019 को ऋण अनुबंध निष्पादित कर खाता संख्या SERJMND0243081 3,95,000/– अक्षरे तीन लाख पिचानवे हजार रुपए का ऋण प्राप्त किया था विपक्षी संख्या 2 ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुनः भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में साम्यिक बंधक किया था। **बंधक सम्पत्ति का विवरण :–** श्री पूरण गाडरी पुत्र श्री मोहन की अचल संपति जो कि मकान नं. 112, गाडरी मोहल्ला, ग्राम जूणदा, पंचायत समिति, रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 528 वर्गफीट है। जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि: पूर्वः– श्री प्यार चंद नाथ का मकान, पश्चिम :– आम रास्ता, उत्तरः– श्री रूपलाल का मकान, दक्षिण : चौक़, विपक्षीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था में उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में	

न्यायालय जिला कलक्टर

व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा विपक्षीगण का खाता दिनांक 04.06.2021 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया। दिनांक 04.06.2021 को विपक्षीगण के खाते में बकाया राशि 4,49,187/– अक्षरे चार लाख उनचास हजार एक सौ सत्यासी रूपये शेष व देय निकलते हैं। दिनांक 04.06.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए विपक्षीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अंतर्गत दिनांक 21.06.2021 को जारी डिमाण्ड नोटिस विपक्षीगण दिनांक 26.06.2021 को प्रेषित किया, जिसकी प्राप्ति विपक्षीगण को दिनांक 03.07.2021 को होने के बाद भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया गया हैं। विपक्षीगण ने देय राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था को नहीं किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उक्त वर्णित सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा सहऋणी को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 21.06.2021 को जारी किया गया था। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पति का विवरणः– श्री पूरण गाडरी पुत्र श्री मोहन की अचल संपति जो कि मकान नं. 112, गाडरी मोहल्ला, ग्राम जूणदा, पंचायत समिति, रेलमगरा तहसील रेलमगरा में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 528 वर्गफीट है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है किः पूर्व :– श्री प्यार चंद नाथ का मकान, पश्चिम :– आम रास्ता, उत्तरः– श्री रूपलाल का मकान, दक्षिण : चौक।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, जयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर

के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)